न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपीडी/टीए/1886/2005/अलवर

(2) अपीडी/टीए/1887/2005/अलवर

अमरसिंह पुत्र भगवान जाति मीना निवासी खेडली चन्द्रावत तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

अपीलार्थी

बनाम

1 श्रीमती शान्ति पत्नी हीरालाल जाति मीना निवासी ग्राम जहाडू
2 श्रीमती माया पत्नी बच्चू जाति मीना निवासी भूरा का तहसील नगर
3 सीमा पुत्री परसादी नवासी भगवान नाबालिग
4 गुडडी पुत्री परसादी नवासी भगवान नाबालिग, नाबालिगान जरिये सरपरस्ती परसादी पुत्र हण्डू पिता खुद निवासी पीपलखेडा
5 तहसीलदार, लक्ष्मणगढ जिला अलवर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अयूब खांन वकील अपीलार्थी
श्री अशोक अग्रवाल वकील प्रत्यर्थी संख्या 1,2
श्री आर.पी.शर्मा वकील प्रत्यर्थी संख्या 3,4

निर्णय

दिनांकः.6.7.2018

उक्त दोनों अपीले धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 44/2003 तथा 48/2003 में पारित निर्णय दिनांक 12.4.2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादित आराजीयात, विवाद की विषयवस्तु एवं कानूनी बिन्दु एक ही होने से दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना स्वीकार की जाकर एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णीत की जा रही हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण श्रीमती शांति वगैरा ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत अमरसिंह व भगवान प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेडली चन्द्रावत स्थित विवादित आराजीयात में भगवान प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा हैं। वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 भगवान की पुत्रियां होने से उनका हिस्सा हैं। उक्त आराजीयात पूर्वजों की पैदा करदा आराजीयात हैं। हमारे पिता भगवाना शरीर से अक्षम, रूग्ण, बहरे व गूंगे हैं तथा उनके सोचने समझने व निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हैं। प्रतिवादी संख्या 1 अमरसिंह ग्राम खेडली चन्द्रावत में ही रहता है तथा वादीगण की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसने भगवान से उलटे सीधे कागजों पर स्टाम्पस पर मनमान अंगूठे दस्तखत कराता रहता है। विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति है एवं भगवान के नाम दर्ज है परन्तु वादीगण का हिस्सा हैं। अतः वाद स्वीकार किया जावे।

4. प्रतिवादी भगवान ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 अमरसिंह को गोद लेना व उसके साथ ही रहना स्वीकार किया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 अमरसिंह ने एक वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इन्हीं आराजीयात के बाबत इन्हीं वादीगण शांति वगैरा के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात मृतक भगवान के खातेदारी एवं कब्जे की हैं। भगवान दिनांक 7.1.95 को फोत हो गये एवं उनके 3 लडयिां शान्ति, गीता व माया हैं। जिनमें गीता भी फोत हो गई उसके पुत्रीयां सीमा व गुडडी हैं। भगवान के कोई लडका पैदा नहीं हुआ था जिससे मृतक भगवान ने स्वंय के जीते जी अपने वंश को चलाने के लिए वादी को फागुन सुदी 2 सम्वत 2031 को गोद ले लिया व बाजाप्ता गोद की रस्म सम्पन्न होकर गोद में बैठाकर पतासे नारियल बांटकर वो खानपान करके रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया तब से वादी अमरसिंह भगवान को गोदपुत्र होकर विवादित आराजीयात पर काबिज चला आ रहा हैं। दिनांक 14.3.85 को एक गोदनामा भी पंजीकृत करा दिया।

5. प्रतिवादी संख्या 1 व 4 भगवान की लडकी है व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 नवासी हैं जो ससुराल में रहती हैं तथा इन लडकियों ने स्वंय भगवान के जीते जी ही एक मुकदमा संख्या 1/106 दिनांक 8.6.92 को भगवान के विरूद्ध इसी अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें भगवान ने जबाबदावा प्रस्तुत कर अमरसिंह को गोद लिया जाना व उसका कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। दिनांक 25.8.92 को एक वसीयतनामा भी अमरसिंह के पक्ष में भगवान ने लिख दिया। वादी अमरसिंह विवादित आराजीयात पर मृतक भगवान के पुत्र की हैसियत से काबिज काश्त हैं। पक्षकार

मीना जाति से हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं पुराने हिन्दू ला सं गर्वन होते हैं जिसमें पुत्रियों को कोई हक पिता की सम्पति में विरासत से प्राप्त नहीं होते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

6. विचारण न्यायालय ने दोनेां दावों को एकजाई कर दावों एवं जबाबदावों के आधार पर कुल 8 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 15.2.2003 से वादीगण शांति वगैरा का दावा संख्या 1/106 खारिज कर दिया एवं अमरसिंह का दावा संख्या 1/101 स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्व शांति वगैरा ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने निर्णय दिनांक 12.4.2005 से अपीले स्वीकार कर वाद संख्या 1/101/95 उनवानी अमरसिंह बनाम शान्ति वगैरा खाजिर कर दिया एवं वाद संख्या 1/128/110/92/93 उनवानी शांति वगैरा बनाम अमरसिंह स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त दोनों अपीले इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

7. इन दोनों प्रकरणों में यहां अमरसिंह को अपीलार्थी प्रतिवादी एवं शांति वगैरा को प्रत्यर्थी वादीगण कहकर सम्बोधित किया जावेगा।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी प्रतिवादी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी प्रतिवादी मृतक भगवान की तमाम चल व अचल सम्पति पर काबिज चला आ रहा है। दावा दायरी के समय भी अपीलार्थी प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त था। प्रत्यर्थी वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं।

9. मृतक भगवान के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ केवल लडकियां ही हुई जिससे भगवान ने जीते जी स्वंय ने अपीलार्थी प्रतिवादी को गोद ले लिया एवं गोदनामा पंजीकृत करा दिया। बाद में लडकियों ने विवाद करना शुरू किया तब वसीयत भी कर दी।

10. पंजीकृत गोदनामा पर संदेह नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति को समझे बिना ही निर्णय पारित किया है। गोदनामा पंजीकृत हैं तथा वसीयत भी निस्पादित की गई है। मृतक भगवान ने जबाबदावा प्रस्तुत किया है एवं अमरसिंह को गोद लिया जाना व गोदनामा पंजीकृत कराना स्वीकार किया है। गोद लेने की रीति रिवाज पूरे किये जाना स्वीकार किया हैं। जिसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य का खण्डन नहीं होने पर भी सीर्फ प्रत्यर्थीगण वादीगण द्वारा विरोध किये जाने को आधार मानकर निर्णय पारित किया है।

11. मृतक भगवान स्वस्थ चित एवं शरीर था। उसका रूगण होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। मौखिक साक्ष्यों से भी अपीलार्थी प्रतिवादी ने अपना पक्ष साबित किया है। स्वंय प्रत्यर्थी वादिया शांति ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि अमरसिंह का ही जमीन पर कब्जा है, हमारा पिता गांव में अमरसिंह के साथ ही रहता है। अमरसिंह के पास ही खाता पिता है। बहन गीता पीपलखेडा में रहती है उसकी लडकियों की शादी में अमरसिंह ही भात देकर आया था, मौके पर अमरसिंह का ही कब्जा काश्त हैं। कब्जे के अभाव में शांति का वाद चलने योग्य ही नहीं हैं एवं अमरसिंह गोदपुत्र की हैसियत से काबिज होना साबित है।

12. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने आगे तर्कदिया कि विवादित आराजीयात पैतृक होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं की गई है। वादी द्वारा इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। विवादित आराजीयात मृतक भगवान की खुदकाश्त खुदपैदाकर्दा की आराजीयात हैं। भगवान द्वारा वसीयत भी विधिक प्रावधानों के अनुसार की गई है। पक्षकार मीणा जाति है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता है तथा पुराना हिन्दू ला लागू होता है जिसमें लडकियों को उनके पिता की सम्पति में विरासत से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। मृतक भगवान की पुत्रियों शान्ति वगैरा ने भगवान के जीवनकाल में ही दावा प्रस्तुत कर दिया था जो चलने योग्य नहीं है क्योंकि पिता के जीवित रहते पुत्रियों को कोई हक व अधिकार नहीं मिल सकते। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने मनमाने ढंग से व्याख्या कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त दोनों अपीले स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 2002 आर.आर.डी. पेज 31, 2014 (3) डी.एन.जे. (राज.) 1050, आर. एल.डब्ल्यू. (2) राज. पेज 695, 2011 आर.आर.डी. पेज 450, आर.एल.डब्ल्यू. 2007(1) राज0 पेज 214 एवं 2015 आर.आर.डी. पेज 606 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

13. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण वादीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादीगण प्रत्यर्थीगण मृतक भगवान की जायन्दा पुत्रियां होकर प्राकृतिक वारिस हैं। मृतक भगवान स्थिर चित नहीं था जिससे अपीलार्थी प्रतिवादी ने कई कागजों पर उलटे सीधे अंगूठे निशांनी लगाली एवं फर्जी कार्यवाही कर गोदनामा निष्पादित करावा लिया। गोदनामा होने के बाद वसीयतनामा भी निष्पादित करवा लिया। जिससे गोदनामा व वसीयतनामा फर्जी होना साबित होते हैं। दोनों का कथन विरोधाभाषी है। भगवान ने कभी भी अमरसिंह को गोद नहीं लिया। गोद लिया व दिया जाना साक्ष्यों से साबित नहीं कराया गया है। गोद लिये व दिये जाने की रस्म होना साबित कराया जाना आवश्यक है।

14. परन्तु प्रतिवादी अपीलार्थी ने ऐसा नहीं कराया है। गोदनामा के आधार पर सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय अनुतोष नहीं दे सकती। विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति है तथा मृतक भगवान के कोई पुत्र नहीं होने से पुराने हिन्दू ला के अनुसार भी भगवान की पुत्रियां विरासत से विवादित भूमि प्राप्त करने की अधिकारी हैं। अमरसिंह को गोद लिया जाना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। भरगवान द्वारा जबाबदावा विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। भगवान ने कोई बयान नहीं दिये हैं एवं उसकी दिमागी स्थिति स्थिर नहीं थी जिससे उसके जबाबदावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण अपीलार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से उक्त दोनों अपीले खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 1998 आर.आर.डी. पेज 391 से 393, 2018 आर.आर.टी. पेज 172 से 175, 2008 आर.बी.जे. पेज 83 से 87 व डब्ल्यू.एल. सी. (एस.सी.) 2004 पेज 541 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

15. . हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

16. विचारण न्यायालय ने विवादित आराजीयात भगवान की स्वअर्जित होना एवं अमरसिंह प्रतिवादी अपीलार्थी को गोद लिया जाना साबित मानते हुए अमरसिंह को मृतक भगवान का गोदपुत्र मानकर अमरसिंह का दावा डिक्री किया है तथा शांति वगैरा मृतक भगवान की पुत्रियां होने से एवं पक्षकार मीणा जाति के होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता तथा पुराने हिन्दू ला के अनुसार पुत्रियों को कोई अधिकार विरासत से प्राप्त नहीं होने से शांति वगैरा का दावा खारिज किया है। इसके विपरीत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अमरसिंह का गोदपुत्र साबित नहीं होना मानकर अमरसिंह का दावा खारिज किया है एवं शांति वगैरा का दावा डिक्री किया है।

17. इस प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि पक्षकार मीणा जाति से होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता है बल्कि पुराना हिन्दू ला प्रभावी होता है। यह भी स्पष्ट है कि मृतक भगवान के तीन पुत्रियां पैदा हुई थी, कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था।

18. मृतक भगवान के कोई पुत्र पैदा नहीं होने पर भगवान के द्वारा अमरसिंह को गोद लिया गया एवं गोदनामा पंजीकृत कराया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 बनाई है। विचारण न्यायालय ने गोदनामा दस्तावेज प्रदर्श ए–1 व

वसीयतनामा प्रदर्श ए–2 पंजीकृत दस्तावेज होने से व गवाह भीमसिंह जाट व गंगलहरी गूर्जर की अंगूठा निशानी हैं एवं गवाहों द्वारा साक्ष्यों में इसे स्वीकार किया जाना मान कर तनकी संख्या 4 का निर्णय अमरसिंह के पक्ष में किया है। परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने इस तनकी का विश्लेषण करते समय गोदनामा के गवाह भीमसिंह के बयानों का विवेचन करते हुए यह अंकित किया है कि भीमसिंह ने अपने बयानों में भगवान के कोई पुत्र नहीं होना व अमरसिंह को गोद लिया जाना तथा गोद रस्म में पतासा नारियत वगैरा बंटे थे, भगवान ने अमरसिंह को गोद लिया था, कहना अंकित किया है जिरह में गोद कितने दिन पहले लिया था, ध्यान नहीं, गोद के समय गांव में श्रीया गूजर, गंगलहरी व पण्डित भी होगा ध्यान नहीं होना, गोदनामा के साथ एक ही यह लिखाया था कि मेरे मरने के बाद ही अमरसिंह मालिक होगाा उस कागज पर भी मैंने अंगूठा किया था। इसी प्रकार गवाह गंगलहरी के बयानों का विवेचन किया है जिसने भी अमरसिंह को भगवान द्वारा 27–28 साहल पहले गोद लिया जाना व रस्म में पतासे बटवाये जाना कथन किया है।

19. इनके विवेचन के बाद कुछ सम्मानीय न्याय दृष्टान्तों के विवेचन के आधार पर गोद की घोषणा की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं होना माना कर अमरसिंह का वाद खारिज किया है तथा मृतक भगवान के कोई पुत्र नहीं होने से पुत्रियों को हिन्दू ला के अनुसार विरासत से भूमि प्राप्त होना माना है जो अनुचित एवं निराधार है क्योंकि गवाहों के बयानो से यह साबित है कि भगवान ने अमरसिंह को गोद लिया है तथा गोदनामा पंजीकृत कराया है। पंजीकृत गोदनामा होने से अमरसिंह को सिविल न्यायालय से घोषणा कराने की आवश्यकता नहीं है बल्कि गोदनामा को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण वादीगण शांति वगैरा को सिविल न्यायालय में चाराजोई करानी चाहिये।

20. पंजीकृत गोदनामा को सत्य माने जाने की उपधारणा कानून में है। पंजीकृत गोदनामा के आधार पर कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा राजस्व न्यायालय कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में मृतक भगवान द्वारा अपने जीवनकाल में अमरसिंह को विधिवत गोद लिया जाना व गोद की रस्म अदा किया जाना तथा गोदनामा पंजीकृत किया जाना साबित कराया गया है। तथा श्री भगवान का ऐसा अभिवचन है। ऐसी स्थिति में अमरसिंह को मृतक भगवान का गोदपुत्र होने से कृषि भूमि हेतु वारिस माना जाना न्यायोचित है जिससे तनकी संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादी अपीलार्थी अमरसिंह के पक्ष में किया जाता है।

21. तनकी संख्या 5 वसीयत के संबंध में है। यह स्पष्ट है कि वसीयत पंजीकृत है एवं वसीयत के गवाहो को साक्ष्य में प्रस्तुत कर वसीयत को साबित कराया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 5 भी प्रतिवादी अपीलार्थी अमरसिंह के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

22. तनकी संख्या 1 इस आशय की है कि विवादित आराजीयात वादीगण प्रत्यर्थी के बुजुर्गो की पैदाकर्ता आराजी है। वादी प्रत्यर्थीगण शांति वगैरा ने इस तनकी को साबित करने हेतु किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2045 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित भूमि भगवान व सुखपाल पुत्रान नत्थ्या के खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तनकी का निर्णय वादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध किया है जो न्यायोचित है।

23. तनकी संख्या 2 इस आशय की है कि भगवान शरीर से अक्षम रूगण, बहरा, गूंगा तथा सोचने की क्षमता नहीं है व प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत रूप से स्टाम्पस पर अंगूठा निशानी कराली। इस तनकी को साबित करने का भार वादी प्रत्यर्थीगण पर है। गोदनामा व वसीयतनामा पंजीकृत है जो उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर पंजीबद्ध किराये गये हैं। इसके साथ ही वादी प्रत्यर्थीगण ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे मृतक भगवान शरीर से अक्षम व अस्थिर चित होना साबित होता हो। केवल मात्र कहने से भगवान को अक्षम व अस्थिर चित नहीं माना जा सकता। भगवान ने जबाबदावा प्रस्तुत कर भी इस तथ्य का खण्डन किया है तथा अमरसिंह के पक्ष में गोदनामा व वसीयत निस्पादित किया जाना स्वीकार किया है। इस स्थिति में इस तनकी का निर्णय वादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध किया जाता है।

24. तनकी संख्या 6 इस आशय की है कि मीणा जाति में लडकियों का उसके पिता की सम्पति में हक नहीं होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) के प्रावधानों के अनुसार मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है बल्कि पुराना हिन्दू ला लागू होता है। पुराने हिन्दू ला के अनुसार चूंकि मृतक भगवान के अमरसिंह गोदपुत्र है जिससे वह विरासतन हक प्राप्त करेगा एवं पुत्रियों को विरासतन हक प्राप्त नहीं होगा। हमारे इस मत को 2002 आर.आर.डी. पेज 31, 2014 (3) डी.एन.जे. (राज) 1050, आर.एल.डब्ल्यू. (2) राज. पेज 695, 2011 आर.आर.डी. पेज 450, आर.एल.डब्ल्यू. 2007(1) राज0 पेज 214 एवं 2015 आर.आर.डी. पेज 606 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों से भी बल मिलता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से हम उसका समर्थन करते

हैं एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

25. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनों अपीले स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 12.4.2005 निरस्त किये जाते है तथा उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.2.2003 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष